भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4605

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों का विनियमन

4605. डॉ. मोहम्मद जावेदः
श्री विजय कुमार हाँसदाकः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) द्वारा वर्ष 2020 से खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए, अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से उन अनिर्दिष्ट खाद्यों और खाद्य सामग्रियों का श्रेणी-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें 'नोवल फूड्स', प्रोपराइटरी फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फंक्शनल फूड्स और आयातित उत्पाद शामिल हैं;

(ग) वर्ष 2020 से सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वापस लिए गए, निलंबित किए गए या संशोधित किए गए अनुमोदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एफबीओ द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाली देरी, प्रक्रियात्मक या अनुपालन संबंधी मुद्दों से संबंधित किन्हीं चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों, नए जोखिम मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों और खाद्य नवाचारों के आलोक में प्रासंगिक मानकों या उपबंधों की आवधिक समीक्षा और अद्यतन करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अवधारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का अधिदेश

है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

वर्ष 2020 से स्वीकृत, अस्वीकृत, बंद/वापस लिए गए अनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों और खाद्य सामग्रियों का विवरण एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट के इस लिंक https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Status_of_Application_as_on_09_03_2026.pdf पर उपलब्ध है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों और अन्य आवेदकों के लिए आवेदन प्रणाली (उत्पाद और दावा अनुमोदन हेतु आवेदन प्रणाली) नामक ऑनलाइन पोर्टल परिकल्पित, विकसित और कार्यान्वित किया है, ताकि खाद्य एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) और अन्य आवेदकों को उत्पाद अनुमोदन के लिए आवेदन करने में सुविधा हो और जनता/अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता बनी रहे तथा संसाधनों का कुशल उपयोग हो सके। खाद्य एवं खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) अपनी समस्याओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईमेल के द्वारा दर्ज करा सकते हैं। उनकी समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाता है और उन्हें तदनुसार संबंधित जानकारी दी जाती है। गैर-निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (एनएसएफ) से संबंधित अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एफएसएसएआई ने छह विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य सामग्री के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के तहत नवीन एवं अनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों/खाद्य सामग्रियों के अनुमोदन को विनियमित किया जाता है। उभरते वैज्ञानिक प्रमाणों, नए जोखिम आकलन, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और खाद्य संबंधी नवाचारों के आलोक में विनियम या इसके प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक मानकीकृत प्रारूप लागू किया है, जिसके तहत खाद्य एवं पोषण से संबंधित निगरानी, आंतरिक आकलन या अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) के माध्यम से प्राप्त डेटा को निर्धारित प्रारूप में सभी हितधारकों, जिनमें खाद्य व्यवसाय संचालकों, उद्योग संघों, अनुसंधान संस्थानों, पेशेवरों और नागरिक शामिल हैं, स्वेच्छा से साझा कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त अभ्यावेदनों का उपयोग एफएसएसएआई द्वारा वैज्ञानिक मूल्यांकन, मानक अवधारण और नीतिगत उद्देश्यों के लिए तथा मौजूदा विनियम या प्रावधान में तदनुसार संशोधन के लिए किया जाता है।
